न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः– श्री अखिलेश कुमार पिपल आर.ए.एस.

अपील संख्याः–301/2020 (GCMS No. 2020/00308) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. शिवसिंह आयु 29 साल } पुत्रान पतराम
2. रामपाल आयु 26 साल }

3. सुआबाई वेवा पतराम आयु 53 साल } पुत्रान गुलकन्दी
4. रामप्रसाद आयु 48 साल }
5. हल्के आयु 43 साल }

6. बत्तीलाल आयु 38 साल } पुत्रान बिस्पतिया
7. अमृतलाल आयु 33 साल }
8. भरतलाल आयु 30 साल }
9. नरसी आयु 23 साल }

10. रूपाबाई वेवा बिस्पतिया आयु 63 साल

जातियान जाटव निवासियान कोंडर तहसील व जिला करौली

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. नारायण पुत्र भूरा आयु 68 साल जाति जाटव निवासी कोंडर तहसील व जिला करौली।
2. तहसीलदार करौली जिला करौली।
3. उपखण्ड अधिकारी करौली जिला करौली।

.....रैस्पोडैन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर करौली दिनांक 04.12.2019 प्रकरण संख्या 32/2019 उनवानी शिवसिह वगै. बनाम नारायण वगै. एवं निर्णय दिनांक 21.07.1982 तहसीलदार करौली बावत् नामा. सं. 279 वांके ग्राम कोंडर

1

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

उपस्थितिः–

1. श्री विष्णुचन्द बंसल, वकील अपीलान्ट
2. श्री ऐश्वर्य सिंह, वकील रेस्पोडैन्ट

निर्णय दिनांक : 28.04.2023

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर करौली के आदेश दिनांक 04.12.2019 एवं निर्णय तहसीलदार करौली दिनांक 21.07.1982 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि रेस्पोडैन्ट संख्या 1 के हक में दिनांक 07.11.1975 को ख.नं. 813/2 रकवा 5 बीघा ग्राम कोंडर का आवंटन किया गया। आवंटन के तहत खसरा नम्बर 813/2 गैर खातेदारी नामान्तकरण हुआ। दिनांक 30.07.1982 को बिना आवंटन आराजी ख.नं. 854/5 रकवा 5 बीघा रेस्पोडैन्ट संख्या 1 के हक में नहीं हुआ। रेस्पोडैन्ट संख्या 3 द्वारा गैर खातेदारान का खसरा नम्बर परिवर्तन करने का आदेश पारित किया। जिसके तहत रेसपोडैन्ट संख्या 2 द्वारा परिवर्तन नामा. रेस्पोडैन्ट संख्या 1 के पक्ष में स्वीकृत किया गया। किस्म परिवर्तन कार्यवाही राज्य सरकार या जिला कलक्टर करौली से कराये बिना रेस्पोडैन्ट संख्या 1 को 5 बीघा भूमि विधिक प्रावधानों के विपरीत आवंटित की गई। जिसके विरूद्ध अपील न्यायालय जिला कलक्टर करौली में की गयी, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.12.2019 से विधि विरूद्ध खारिज कर दी गयी। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडैन्टगण व तहत न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। बहस उभयपक्ष सुनी गई।
3. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य हैं। दिनांक 04.12.19 अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर करौली व निर्णय दिनांक 21.07.1975 न्यायालय तहसीलदार करौली खिलाफ कानून रूहेदाद मिसल है। रेस्पोडैन्ट संख्या 1 के हक में दिनांक 07.11.75 को ख.नं. 813/2 रकवा 5 बीघा ग्राम कोंडर का आवंटन किया गया अैर आवंटन

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

के तहत ख.नं. 813/2 गैर खातेदारी नामा. हुआ हैं दिनांक 30.07.82 के कोई आवंटन आराजी ख.नं. 854/5 रकवा 5 बीघा रेस्पो. संख्या 1 के हक में नही हुआ। दिनांक 30.07.82 का आदेश रेस्पो. सं. 3 ने गैर खातेदारान का ख.नं. परिवर्तित का आदेश विधि विरूद्ध रूप से किया है। जिसका परिवर्तन नामा. रेस्पो. संख्या 2 ने रेस्पो. सं. 1 के हक में गैर खातेदारी का स्वीकृत किया। निर्णय दिनांक 21.7.82 अधीनस्थ न्यायालय पूर्णतया आर्वीट्रेरी है। रेस्पो. सं. 1 को ख.नं. 854/5 रकवा 5 बीघा ग्राम कोंडर का कोई आवंटन कभी नहीं किया गया। रेस्पो. सं. 3 को रेस्पो. सं. 1 के हक में ख.नं. 813/2 के स्थान पर ख.नं. 854/5 को गैरखातेदारी नामा. के तहत परिवर्तित करने का संशोधित करने का अधिकार बिना आवंटन सलाहकार समिति की मीटिंग किये नहीं है।रेस्पो. सं. 1 व 3 द्वारा ख.नं. 854 ग्राम कोंडर की किसम चारागाह की कोई किस्म परिवर्तन दिनांक 30.01.1982 या 21.07.1982 को जिला कलक्टर करौली या राज्य सरकार से नहीं करायी गई। दिनांक 30.01.1982 को ख.नं. 813/2 के स्थान पर 854/5 विधि विरूद्ध रूप से परिवर्तित किया है और रेस्पो. संख्या 2 द्वारा नामा. संख्या 279 दिनांक 21.07.1982 को विधि विरूद्ध स्वीकृत किया है। ख.नं. 854 चारागाह भूमि है जो ग्राम वासियान की मवेशियों के चाराब की भूमि सार्वजनिक उपयोग उपभोग की है एवं ख.नं. 854 में है। 1 बीघा 12 विस्वा भूमि आवादी में हैं जिसमें अपीलान्टस की मकानियत पुख्ता व पाटौर पेश 40 साल पूर्व से पितागण अपीलान्ट के समय से बनी हुई है। धारा 16 आर.टी. एक्ट के तहत चारागाह भूमि में किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार चारागाह भूमि में प्राप्त नहीं होते हैं न ही चारागाह भूमि आवंटन योग्य होती है। निर्णय दिनांक 04.12.2019 न्यायालय जिला कलक्टर करौली को है इसलिए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद पेश है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 04.12.19 न्यायालय जिला कलक्टर करौली एवं निर्णय दिनांक 21.07.1982 बावत् नामान्तकरण संख्या 279 ग्राम कोंडर तहसील करौली निरस्त किये जाने के आदेश फरमावें।

4. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा खसरा नम्बर 813 में किया गया है। उक्त खसरा नम्बर पर मौके पर दूसरे लोगों का कब्जा था। अतः

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

खसरा नम्बर 813 के स्थान पर खसरा नम्बर 854 पर दिनांक 30.01.1982 का आदेश परिवर्तित किया है। कोरम कमेटी के हस्ताक्षर आदेश पर न होकर पंजिका में होते हैं। आवंटन आदेश के अवैधानिक नहीं कहा जा सकता है। 30.01.1982 को संशोधित आदेश से ही रेस्पोडैन्ट को कब्जा दिया गया है। 1982 से 2016 अपील तक रेस्पोडैन्ट काबिज रहे हैं। अपील में यह नहीं बताया गया कि इतने साल तक अपील क्यों नहीं की गई। इसलिए धारा 5 मियाद अधिनियम का लाभ नहीं मिल सकता है। अपीलान्ट द्वारा चारागाह भूमि होने के संबंध में कोई रिकार्ड पेश नहीं किया है। भूमि यदि चारागाह है तो राज्य सरकार की अनुमति से राजपत्र में अधिसूचना से किस्म परिवर्तन कर आवंटन किया। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे। अपील के समर्थन में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर की न्यायिक नजीर आरबीजे 2021 पेज 747, आरआरडी 2016 पेज 163 एवं आरआरडी 2016 पेज 587 पेश की।

5. रिवीटल में वकील अपीलान्ट का कथन है कि प्रार्थना पत्र आवंटन खारिज करने की सिफारिश में आवंटन सलाहकार समिति का कोरम पूरा नहीं था। संशोधित आदेश दिनांक 30.01.1982 में आवंटन सलाहकार समिति का कोई उल्लेख नहीं है। बिना आवंटन सलाहकार समिति के परिवर्तन आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। नामान्तकरण ख.नं. 854 का 7 साल बाद खुलवाया गया है जबकि आवंटन ख. नं. 813 में था। आवंटन पत्र की शर्तों की पालना नहीं की गई है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

6. राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिनमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधिसम्मत् है, जो किसी भी प्रकार से अवैधानिक नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है, वह सही हैं। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हम पाते हैं रैस्पो0 संख्या 01 को दिनांक 07.11.1975 को खसरा नम्बर 813/2 आवंटित किया गया था। परन्तु कब्जा खसरा नम्बर 854/5 का दिया गया। रैस्पो0 को इस तथ्य का पता चलने पर उपखण्ड अधिकारी करौली के यहॉ आवेदन किया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी ने मौका रिपोर्ट, उपलब्ध रिकार्ड एवं कब्जे के आधार पर रैस्पो0 संख्या 01 को 854/5 में नामान्तकरण दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये हैं। विवादित नामान्तकरण उपखण्ड अधिकारी के आदेशो से खोला गया है। जिसे अपीलाण्ट ने पूर्व में भी निगरानी संख्या 01/2016 अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गयी थी। जो खारिज हो चुकी है। अपीलाण्ट द्वारा पुनः उन्हीं तथ्यों के साथ वापस नामान्तकरण की अपील प्रस्तुत करना, न्यायालय के कीमती समय को नष्ट करने एवं आवंटी को नाजायज परेशान करना इंगित करता है। इसके अलावा अपीलाण्ट ने रैस्पो0 संख्या 01 के आवंटन को निरस्त करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में 14(4) की कार्यवाही भी पृथक से की गयी है, जो खारिज हो चुकी है। लिहाजा अपीलाण्ट की अपील स्वतः ही प्रभावहीन हो जाती है।

8. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय 19.06.2019. व 21.07.1982 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें एवं बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 28.04.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28.04.2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर